<u>डिस्क्लेमर</u>

परामर्श पत्र संख्या 07/2022-23 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमआईएएल-मंगलौर/सीपी-I/2020-21

परामर्श पत्र संख्या 07/2022-23

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईएक्सई) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 05 अगस्त, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि वर्ष 2020 के प्रारंभ से पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण विमानन क्षेत्र अत्यधिक अस्त–व्यस्त हो गया था और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्राधिकरण ने इस महामारी की तीसरी लहर से उत्पन्न हुई हाल ही कि स्थितियों और पूरे में विश्व में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर लगी रोक के कारण इस उद्योग पर हुए प्रभाव को संज्ञान में लिया है।

प्राधिकरण ने वर्तमान में उपलब्ध समस्त जानकारी, इस मामले में हवाईअड्डा प्रचालकों, आईएटीए, एसीआई जैसे उद्योग निकायों और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के मत को ध्यान में रखकर तथा विभिन्न परिदृश्यों का विशलेषण करने के बाद कारोबार संबंधी मौजूदा परिदृश्य के संभावित परिवर्तनों और अनिश्चिताओं के कारण यातायात एवं विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन की समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त डीजीसीए के दिनांक 08 मार्च, 2022 के परिपत्र संख्या 04/1/2020- आईआर द्वारा 28 मार्च, 2022 से वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री हवाई यात्रा को पुन: ठीक किए जाने और एकपक्षीय अस्थाई (एयर बबल) व्यवस्थाएं समाप्त करने के भारत सरकार के हाल के निर्णय को ध्यान में रखकर प्राधिकरण का यह मत है कि अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात को क्रमश: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 तक कोविड के पहले के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु इन समायोजनों को हितधारकों से प्राप्त टिप्पण्यिों पर विचार करने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (एमआईए) को वित्त वर्ष 2015-16 की वास्तविक यातायात की मात्रा (थ्रूपुट) के आधार पर हर वर्ष 1.5 एमपीपीए का वार्षिक यात्री थ्रूपुट प्राप्त करने के बाद "प्रमुख हवाईअड्डे" के रूप में घोषित किया गया था। 2019 में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (ऐरा अधिनियम) में संशोधन किए जाने के पश्चात एमआईए गैर-प्रमुख हवाईअड्डा हो गया था। इसके बाद उसी वित्त वर्ष 2019-20 में नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 10 जनवरी, 2020 के आदेश संख्या एस.ओ. 206 (ई) द्वारा एमआईए को "प्रमुख हवाईअड्डे" के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस कारण से यह समझा जाता है कि प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में एमआईए के दर्जे में कोई व्यवधान नहीं हुआ है और इस कारण से एमआईए वित्त वर्ष 2016-17 से लगातार प्रमुख हवाईअड्डा बना रहा है। चूंकि भारत सरकार एएआई के अन्य हवाईअड्डों के साथ-साथ एमआईए का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी इसलिए ऐरा ने वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 तक की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित नहीं की। इसके अतिरिक्त ऐरा ने यह भी महसूस किया था कि नए हवाईअड्डा प्रचालक (एएआई) द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से चयन किए जाने वाले) को अपना एमवाईटीपी पेश करने का अवसर प्रदान करना उचित होगा तथा इस समय तक एमआईए के लिए गैर-प्रमुख हवाईअड्डे के लिए लागू मौजूदा टैरिफ जारी रखी जा सकती है।

मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित किया गया था,जिसने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 50 वर्ष की अवधि के लिए हवाईअड्डे के प्रचालन, विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए 14 फरवरी, 2020 को वर्तमान हवाईअड्डा प्रचालक के साथ रियायत करार किया था और सीओडी 31 अक्तूबर, 2020 को प्राप्त की। वित्त वर्ष 2016-17 से 31 अक्तूबर, 2020 (सीओडी) तक की अवधि पूर्व-सीओडी अवधि मान ली गई और सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि सीओडी के बाद की अवधि मान ली गई है। इस टैरिफ निर्धारण कार्य में चूंकि दो (02) हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सीओडी-पूर्व) और मंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीओडी के बाद), सम्मिलित हैं इसलिए इस परामर्श पत्र में स्पष्टता बनाए रखने के लिए प्राधिकरण ने कोविड पूर्व की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए एएआई का और कोविड के बाद की अवधि के लिए मंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का प्रयोग किया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एएआई और हवाईअड्डा प्रचालक ने निम्नानुसार अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत कर दिया है:

- वित्त वर्ष 2016-17 से सीओडी तक की कोविड पूर्व की अवधि के लिए एएआई की टू-अप की प्रस्तुति
- सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की कोविड के बाद की अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक की टू-अप की प्रस्तुति।
- हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने एएआई द्वारा मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए कोविड पूर्व की अवधि के लिए प्रस्तुत लेखा-परीक्षित आंकड़ों और 31 अक्तूबर, 2020 (सीओडी) से 31 मार्च, 2021 तक हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र i) भारत सरकार के वाणिज्यिक उड़ानों को पुन: शुरू करने और यात्री/एटीएम यातायात को बढ़ाने के हाल के निर्णय और ii) टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में दोनों हवाईअड्डा प्रचालकों को सम्मिलित करने की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नही किया जाएगा।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 05.08.2022 के परामर्श पत्र संख्या 07/2022-23 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां संलग्नक- 5 में निर्धारित नमूने के अनुसार, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, secretary@aera.gov.in

हितधारकों की परापर्श बैठक :	22 अगस्त, 2022
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	05 सितम्बर, 2022
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	17 सितम्बर, 2022

टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2017 से प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख तक की अवधि के लिए एएआई का टूअप

4.4.1 तालिका 9 के अनुसार 31 अक्तूबर, 2020 को 125.64 करोड़ रूपए माने गए प्रारंभिक आरएबी को मानना।

4.4.2 कोविड-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 10 के अनुसार आरएबी के टूअप को मानना।

4.4.3 कोविड-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 11 के अनुसार मूल्यह्रास के टू-अप को मानना।

4.4.4 कोविड –पूर्व की अवधि के लिए तालिका 17 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

4.4.5 कोविड-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 18 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व के टूअप को मानना।

4.4.6 कोविड- पूर्व की अवधि के लिए तालिका 19 के अनुसार वैमानिक राजस्व के टूअप को मानना।

4.4.7 कोविड-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 21 के अनुसार वैमानिक कराधान के टूअप को मानना।

4.4.8 कोविड-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 22 के अनुसार एफआरओआर के टूअप को मानना।

4.4.9 पैराग्राफ 4.3.11.4 में दिए गए सूत्र के आधार पर तालिका 24 के अनुसार समायोजित समझे गए प्रारंभिक आरएबी को भुगतान की वास्तविक तारीख के लिए उपयुक्त मानना।

4.4.10 कोविड-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 22 के अनुसार एएआई के टू-अप के लिए 81.14 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5 : प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 31 मार्च, 2021 तक के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का टू-अप

5.4.1 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 27 के अनुसार आरएबी और मूल्यह्रास का टू-अप मानना।

5.4.2 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 14% की दर से एफआरओआर का टू-अप मानना।

5.4.3 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 33 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

5.4.4 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 34 के अनुसार गैर- वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

5.4.5 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 35 के अनुसार वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

5.4.6 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 36 के अनुसार हवाईअड्डा प्रचालक के टू-अप के लिए 27.60 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 6: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

6.3.1 मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 44 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।

6.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को टूअप करना।

अध्याय 7: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यह्रास

7.4.1 मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए परिसंपत्तियों के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आंबटन संबंधी अध्ययन, आईएमजी मानदंडों और अन्य समान प्रकार के हवाईअड्डों के लिए यथानुमोदित मानदंडों के अनुरूप 92:8 के संशोधित टर्मिनल भवन अनुपात को मानना।

7.4.2 पूंजीगत परिवर्धनों पर वित्तीयन भत्ते की अनुमति न देना लेकिन पैरा 7.3.5 और 7.3.12 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान आईडीसी की अनुमति देना।

7.4.3 तालिका 59 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

7.4.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा संख्या 7.3.11 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

7.4.5 स्टॉम्प ड्यूटी और जीएसटी को प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी के भाग के रूप में न मानना क्योंकि हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया है।

7.4.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

7.4.7 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 64 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

7.4.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

7.4.9 मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 67 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

7.4.10 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकडों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

8.3.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

8.3.2 ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के लक्षित अनुपात के अनुरूप 48% : 52% के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के काल्पनिक ऋण को मानना।

8.3.3 दक्षता और औचित्य के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत और ऋण की लागत के टू-अप को मानना।

8.3.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के अनुपात के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 9 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.3.1 भारतीय रिजर्व बैंक के वृहत आर्थिक संकेतकों संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्त्ताओं के 69वें सर्वेक्षण में दिए गए वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के मध्यम डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति पूर्वानुमानों के औसत के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 4.9% डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

10.3.1 मंगलौर हवाईअड्डे के लिए तालिका 87 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन खर्च, ईंधन प्रचालन खर्च और कार्गो प्रचालन खर्च सहित कुल वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि में टू-अप के समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए कुल वास्तविक वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.3.3 हवाईअड्डे के कम मात्रा वाले प्रचालनों को ध्यान में रखकर प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक से प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को दक्षतापूर्वक वहन करने की अपेक्षा करता है।

अध्याय 11: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

11.3.1 मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 91 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

11.3.3 हवाईअड्डा प्रचालक को अन्य सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी वाले हवाईअड्डे के अनुरूप प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एमआईए के एनएआर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

अध्याय 12 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.3.1 मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 93 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.3.2 वर्तमान नियंत्रण अवधि के अंत में वास्तविक कर बहिर्वाह के आधार पर वैमानिक कर आकलनों को टू-अप करना।

अध्याय 13: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.3.1 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए एमआईए की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

13.3.2 हवाईअड्डा प्रचालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सेवा की गुणवत्ता प्रथम नियंत्रण अवधि में रियायत करार में इंगित किए अनुसार निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.3.1 मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 96 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

14.3.2 एमआईए को यह निदेश देना कि वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) यह परामर्श पत्र जारी होने के सात (7) दिन के भीतर प्रस्तुत करें, इसकी समीक्षा की जाएगी और हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 05 सितम्बर, 2022 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)